अति आवश्यक

पत्रांक : 4252 / उ.सू.आ. / 2011
दिनांक : 23/05/2011

प्रिय

आयोग के संज्ञान में आया है कि दिनांक 21 / 05 / 11 को एक निजी टी.वी. समाचार चैनल द्वारा आयोग के सूचना आयुक्तों के अपने वाहन पर लाल बत्ती (Red Beacon Light) लगाये जाने के संबंध में टिप्पणी की गयी तथा संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी से भी दूरभाष पर वार्ता कर प्रसारित किया गया जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा कहा गया कि आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के संबंध में शासन द्वारा उनके वाहनों पर लाल बत्ती लगाये जाने की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है तथा वे इसे लगाने के अनुमन्य नहीं हैं.

2. इस संबंध में आयोग द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपने पत्रांक 6054 दिनांक 16 / 12 / 09 के द्वारा अनुरोध किया गया था कि आयोग के सूचना आयुक्तों के वाहन में लाल बत्ती लगाये जाने के संबंध में संगत शासनादेशों के अनुसार आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें. इस पत्र की प्रतिलिपि सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन को भी पृष्ठांकित की गयी थी. उक्त पत्र की एक प्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है.

3. उपरोक्त के संदर्भ में मैं आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 उप धारा 5 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें वेतन भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिए राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को भारत के निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष तथा राज्य सूचना आयुक्तों को राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष रखा गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 उप धारा 5 का उद्धरण निम्नवत् है :

16(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें —

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं;

4. राज्य सूचना आयुक्तों के वाहन पर लाल बत्ती लगाये जाने की सुविधा अधिनियम के उक्त प्राविधान के *Other Terms and Conditions of Service* से आच्छादित होता है तथा उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य सचिव के वाहन पर लाल बत्ती लगाये जाने की अधिसूचना परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जारी की गयी है. अतः उचित होता कि आयोग के पत्र दिनांक 16/12/09 के कम में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के लिए भी ऐसी अधिसूचना जारी की जाती जिससे 21/05/11 जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

5. अतः उपरोक्त पत्राचार एवं हाल में घटित हुयी अप्रिय घटना के प्रकाश में यह उचित होगा कि उत्तराखण्ड के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्तों के वाहन के शीर्ष पर लाल बत्ती लगाये जाने की अधिसूचना तत्काल जारी कर दी जाये ताकि इस प्रकार की अप्रिय स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो तथा आयोग एवं उसके पदाधिकारियों को असमंजस का सामना न करना पड़े.

6. कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर वांछित कार्यवाही करा कर आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ

संलग्न : यथोपरि

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून